# न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 46/2019

**वादीगण**

1. मृतक गोपाराम के का0मु0
   1/1 गणपतलाल
   1/2 अशोक कुमार
   1/3 मृतक किशनलाल पुत्र गोपाराम के का0मु0
   1/3/1 गवरी पत्नी किशनलाल
   1/3/2 संदीप पुत्र किशनलाल
   1/3/3 मोहित पुत्र किशनलाल (वादी सं0 1/3/2 व 1/3/3 दोनों नाबालिग कुदरती वलियां माता श्रीमती गवरी)
   1/4 नटवरलाल
   1/5 प्रेम कुमार पीसरान गोपाराम
   1/6 तुलसीदेवी पत्नी गोपाराम
2. मृतक चम्पालाल पुत्र सोहनलाल के का0मु0
   2/1 समदु देवी पत्नी चम्पालाल जाति प्रजापत निवासी हीरालाल का भट्टा, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली।
   2/2 शोभा देवी पुत्री चम्पालाल पत्नी धर्माराम जाति प्रजापत निवासी हीरालाल जी का भट्टा, सोजत सिटी तह0 सोजत हाल निवासी कुम्हारों का बास, नाड़ी बिलाड़ा तह0 बिलाड़ा जोधपुर।
   2/3 संगीता प्रजापत पुत्री चम्पालाल पत्नी मदनलाल जाति प्रजापत निवासी हीरालाल जी का भट्टा, सोजत सिटी हाल निवासी Jayashree Jeweleeres Opp. Police Station Jagalur Davangere कर्नाटका 577528.
   2/4 महेन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति प्रजापत निवासी हीरालाल जी का भट्टा, सोजत सिटी
   2/5 सुनिल प्रजापत पुत्र चम्पालाल निवासी हीरालाल जी का भट्टा, सोजत सिटी
3. मृतक मंगलचंद के का0मु0
   3/1 पिरतादेवी पत्नी मंगलचंद
   3/2 पवन कुमार
   3/3 नीरज कुमार
   3/4 रवि कुमार पीसरान मंगलचंद जातिगण प्रजापत निवासीगण जैकल माता मन्दिर की पीछे, नेशनल हाईवे सोजत सिटी तह0 सोजत जिला—पाली।

**बनाम**

**प्रतिवादी**

1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
2. मृतक पोकरराम पुत्र रामाराम के का0मु0
   A मृतक हीराराम पुत्र पोकरराम के का0मु0
   2/1 डाउराम पुत्र हीराराम जाति माली निवासी दिल्ली दरवाजा
   2/2 नारायणलाल पुत्र हीराराम जाति माली निवासी बेरा बड़ा आठ सोजत सिटी।
   B मृतक गुलाराम पुत्र पोकरराम के का0मु0
   2/3 मिश्रीलाल गोदी पुत्र गुलाराम जातिगण माली निवासीगण बेरा बड़ा आठ सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ओसवाल जैन निवासी सोजत सिटी हाल एमबी कटपीस सेन्टर नंबर 11 लक्ष्मणराव रोड़ हुरिया पेट, डीके लाईन चीकपेट बैंगलोर 51 कर्नाटक
4. सोहनलाल पुत्र बोराराम जाति मालवीय लौहार निवासी आईओसी कॉलोनी, सोजत सिटी
5. हंसराज
6. नरपत पीसरान पेमाराम जातिगण मालवीय लौहार निवासी मैन बस स्टेण्ड, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956**

**काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट0 1955**

**उपस्थितिः—**

1. श्री किशन सोनी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

2. श्री संजय ओझा, श्री जितेन्द्र जोशी अधिवक्तागण प्रतिवादीगण उपस्थित।
3. तहसीलदार भूमि धारक स्वयं उपस्थित।

दिनांक 01/10/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में सेटलमेंट से पूर्व पुराने खसरा नंबरान 389/1 कुल रकबा साढे तीन बीघा तीन बिस्वा यानि 0.5100 हैक्टर की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जो कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार (1) तुलसाराम पुत्र नवलाराम 1/3 हिस्सा, (2) पोकरराम पुत्र रामाराम 1/3 हिस्सा (3) गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पीसरान देवाराम माली 1/3 हिस्सा इन्द्राज थी, वक्त सेटलमेंट पुराने खसरा नंबरान 389/1 रकबा साढे तीन बीघा तीन बिस्वा से तीन नये खसरा नंबरान 4594 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4595 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4596 रकबा 0.1500 हैक्टर इस प्रकार कुल खसरा तीन कुल रकबा 0.5100 हैक्टर बने है। जो पुराने खसरा नंबर से नये खसरा नंबर बने है। उक्त वादपत्र के साथ वादस्थ कृषि भूमि का एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो परिशिष्ट—क है, जिसमें तमाम वादी एवं प्रतिवादीगण की वर्तमान मौके पर काबिज है, जिसमें हाईवे की तरफ सम्पूर्ण आराजीयात का 1/3 का 3/4 यानि 1/4 हिस्सा पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र अखावत प्रतिवादी संख्या 3 तथा शेष 1/3 का 1/4 यानि 1/12 संयुक्त रूप से सोहनलाल (1/24 हिस्सा), पेमाराम (1/24 हिस्सा) पीसरान वोराराम का आया हुआ है जिस सम्पूर्ण हक हिस्से को लाल रंग से दर्शाया गया है, उसके पीछे मृतक पोकरराम पुत्र रामाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/2, 2/3 के हिस्से सम्पूर्ण आराजीयात का 1/3 यानि 0.1700 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई है जिस सम्पूर्ण हिस्से को पीले रंग से दर्शाया गया है, इसी प्रकार शेष 1/3 हिस्सा यानि 0.1700 हैक्टर वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिस सम्पूर्ण हिस्से को हरे रंग से दर्शाया गया है, जिस नजरी नक्शा को उक्त वादपत्र का अभिन्न अंग माना व समझा जावे। वर्ष 1989 में उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में से खातेदार गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पीसरान देवाराम माली ने अपने सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्से को जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13/12/1979 को वादीगण संख्या 1 से 6 के पिता/पत्ति गोपाराम व उनके भाई वादी संख्या 7 चम्पालाल व वादी संख्या 8 से 11 के पिता/पत्ति मंगलचंद पीसरान सोहनलाल ने संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया, जिसे राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 117 के जरिये गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पीसरान देवाराम 1/3 के स्थान पर वादी संख्या 1 से 6 के पति/पिता गोपाराम व वादी संख्या 7 चम्पालाल व वादी संख्या 8 से 11 के पति/पिता मंगलचंद पीसरान सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा इन्द्राज हुआ। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व म्यूटेशन संख्या 117 की प्रमाणित प्रति से भी बखूबी साबित है, तब से लेकर आज दिन तक बतौर संयुक्त खातेदार काश्तकार वादीगण व उनके पूर्वज मौके पर अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आये है। जमाबंदी सम्वत 2033 से 2035 के संयुक्त खातेदार तुलछाराम पुत्र नवलाराम 1/3 हक हिस्सा दर्ज था, तुलछाराम के देहान्त के बाद म्यूटेशन संख्या 239 प्रथम म्यूटेशन के रूप में तुलछाराम के स्थान पर उनके पुत्र पोकरराम पुत्र तुलछाराम व शेष बदस्तुर इन्द्राज किया गया, तत्पश्चात पोकरराम पुत्र तुलछाराम ने अपने सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्से में से 3/4 हिस्सा सच्चानन्द पुत्र देवनदास सिंधी तथा 1/3 का 1/4 हिस्सा सोहनलाल पुत्र वोराराम लौहार को जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 9/8/1979 के तहत बेचान किया था, जिनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार म्यूटेशन संख्या 239 के तहत पोकरराम पुत्र तुलछाराम के स्थान पर सच्चानन्द पुत्र देवनदास 3/4 व सोहनलाल पुत्र वोराराम 1/4 संयुक्त रूप 1/3 हिस्सा द्वितीय म्यूटेशन दर्ज किया

खण्ड अधिकारी

गया, शेष खाता 2/3 हिस्सा पोकरराम वगैरा बदस्तुर रखा गया, तत्पश्चात सोहनलाल पुत्र वोराराम ने अपने 1/3 का 1/4 यानि 1/12 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अपने भाई पेमाराम पुत्र वोराराम लौहार को जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 27/9/1982 को बेचान कर दिया, जिसका नाम भी राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 239 के तहत तीसरे म्यूटेशन के रूप में सोहनलाल पुत्र वोराराम का 1/3 का 1/4 का 1/2 यानि 1/24 वां हक हिस्सा तथा पेमारांम का 1/3 का 1/4 का 1/2 यानि 1/24वां हक हिस्सा इन्द्राज किया गया तथा शेष खाता पोकरराम वगैरा बदस्तूर 2/3 हिस्सा इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात इसी चौसाले के दौरान सच्चानन्द पुत्र देवनदास ने 1/3 का 3/4 यानि 1/4 हक हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20/10/1981 को बिस्मिल्ला बीबी पत्नी हुसैनवक्ष शेख को बेचान कर दिया, जिसका नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये म्यूटेशन संख्या 244 के जरिये सच्चानन्द के स्थान पर बिस्मिल्ला बीबी पत्नी हुसैनबक्ष शेख 3/4 हिस्सा सोहनलाल पुत्र वोराराम 1/8 पेमाराम पुत्र वोराराम लवार 1/8 तथा पोकरराम वगैरा 2/3 बदस्तुर कर दिया, लेकिन इस समय राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार अंतिम काश्तकारों का नाम नीचे माफिक इन्द्राज होना चाहिए था। पेकरराम पुत्र रामाराम 1/3 हक हिस्सा, म्यूटेशन संख्या 117 के तहत गोपाराम, चम्पालाल मंगलाराम पीसरान सोहनलाल प्रजापत 1/3 हिस्सा, म्यूटेशन संख्या 239 व 244 के अनुसार बिस्मिल्ला बीबी पत्नी हुसैनबक्ष शेख 1/3 का 3/4 यानि 3/12 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजीयात का 1/4 हक हिस्सा, सोहनलाल पुत्र वोराराम का 1/3 का 1/4 का 1/2 यानि 1/24 हिस्सा, पेमाराम पुत्र वोराराम का 1/3 का 1/4 का 1/2 यानि 1/24 हिस्सा। लेकिन उस समय जमाबंदी सम्वत 2033 से 2035 में राजस्व अधिकारी (पटवारी, आरआई, तहसीलदार) द्वारा सोहनलाल का 1/8 व पेमाराम 1/8 व बिस्मिल्ला बीबी पत्नी हुसैनबक्ष शेख 3/4 व शेष खाता पोकरराम वगैरा 2/3 इन्द्राज किया जो पूर्णतः गलत था, जिसमें वादीगण के पूर्वजों का 1/3 हक हिस्सा नही बताया गया, जिस कारण नई जमाबंदी चोसाला वर्ष सम्वत 2042 से 2045 बनाते समय राजस्व अधिकारियों ने पूर्व जमाबंदी सम्वत वर्ष 2033 से 2035 अनुसार खातेदार (1) पोकरराम पुत्र रामाराम माली 2/3 हिस्सा, (2) बिस्मिल्ला बीबी पत्नी हुसैनबक्ष शेख 3/4 हिस्सा, (3) सोहनलाल पुत्र वोराराम 1/8 हिस्सा (4) पेमाराम पुत्र वोराराम 1/8 हिस्सा दर्ज कर बनाई गई, जिसमें राजस्व अधिकारियों ने पूर्व जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2035 की जमाबंदी की सम्पूर्ण खातेदारों के नाम देखे बिना ही पोकरराम पुत्र रामाराम वगैरा 2/3 हिस्सा लिखा होना देखकर सम्पूर्ण 2/3 हक हिस्सा सम्वत 2042 से 2045 की जमाबंदी में पोकरराम पुत्र रामाराम माली के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया, जबकि उनका 1/3 हक हिस्सा ही आता है तथा शेष 1/3 हक हिस्सा वादीगण संख्या 1 से 6 के पति/पिता व वादी संख्या 7 चम्पालाल व वादी संख्या 8 से 11 मंगलचंद पीसरान सोहनलाल प्रजापत का नाम जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 में इन्द्राज किया जाना चाहिए, लेकिन राजस्व अधिकारियो (पटवारी, आरआई, तहसीलदार) ने वादीगण संख्या 1 से 6 के पति/पिता गोपाराम व वादी संख्या 7 चम्पालाल व वादी संख्या 8 से 11 के पति/पिता मंगलचंद का नाम बिना किसी विधिक अधिकार के राजस्व रेकर्ड से हटा दिया, जबकि वादीगण या उसके पूर्वज गोपाराम, चम्पालाल, मंगलाराम ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्से की कृषि भूमि का कभी भी बेचान हस्तानान्तरण, बक्सीस, वसीयत इत्यादि नहीं किया था और वादीगण आज भी मौके पर अपने 1/3 हक हिस्से यानि 0.1700 हैक्टर की कृषि भूमि पर बतौर खातेदार मालिक स्वामी के काबिज है। इस दौरान वादीगण संख्या 1 से 6 के पूर्वज गोपाराम का देहान्त दिनांक 06/10/2003 को तथा इस प्रकार वादी संख्या 8 से 11 मंगलचंद का देहान्त दिनांक 8/4/1987 को हो गया, तथा वादी संख्या 7 चम्पालाल मौके पर काविज होने से तथा राजस्व रेकर्ड की नकलों की कभी आवश्यकता नहीं होने से और वादीगण कम पढे लिखे होने से कभी राजस्व रेकर्ड को नही देखने से उन्हें नाम हटाने की कोई जानकारी नहीं रही है कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में हटा दिया गया है। हाल ही में

उपखण्ड अधिकारी,

इसी वर्ष वादीगण की कृषि भूमि के आगे रास्ते की भूमि को लेकर विवाद होने पर राजस्व रेकर्ड की नकले निकालने पर प्रथम बार जानकारी हुई कि उनके पूर्वजों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है और उनका सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा राजस्व अधिकारियों की गलती / त्रुटि से पोकरराम पुत्र रामाराम के 1/3 हक हिस्से में जोड़ते हुए 2/3 हक हिस्सा कर दिया और जमाबंदी चौसाला संख्या 2042 से 2045 में वर्तमान तक वादीगण संख्या 1/3 हिस्सा पोकरराम पुत्र रामाराम माली के नाम चढ़ा हुआ है, जबकि आज भी मौके पर पोकरराम पुत्र रामाराम के वारिसान अपने 1/3 हक हिस्से पर काबिज है। तत्पश्चात लगातार जमाबंदी चौसालों वर्ष 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065 व सम्वत 2066 से 2069 व वर्तमान सम्वत 2070 से 2073 तक में वादीगण के पूर्वज गोपाराम, चम्पालाल, मंगलचंद पीसरान सोहनलाल का 1/3 हक हिस्सा पोकरराम पुत्र रामाराम के 1/3 हक हिस्सा पोकरराम पुत्र रामाराम के 1/3 हक हिस्से की बजाय 2/3 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में राजस्व अधिकारियों की गलती / भूल से इन्द्राज चला आया, जबकि मौके पर आज भी वादीगण अपने हक हिस्से पर बतौर मालिक काबिज है। जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 के दौरान खातेदार बिस्मिल्ला बीबी पत्नी हुसैनबक्ष ने अपने सम्पूर्ण हक हिस्से यानि 1/3 का 3/4 यानि सम्पूर्ण आराजीयात का 1/4 हक हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/7/1988 को श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार अखावत व श्रीमती त्रिशलादेवी पत्नी सुरेशचंद अखावत को बेचान किया, जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये म्यूटेशन संख्या 710 के तहत बिस्मिल्ला बीबी के स्थान पर पुष्पादेवी व त्रिशलादेवी संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा इन्द्राज किया गया और राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार (1) पोकरराम पुत्र रामाराम 2/3 व (2) पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार अखावत, त्रिशलादेवी पत्नी सुरेशचंद अखावत 3/4, (3) सोहनलाल पुत्र वोराराम 1/8, (4) पेमाराम पुत्र वोराराम 1/8 सहखातेदार इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात जमाबंदी चौसाला सम्वत वर्ष 2046 से 2049 में तहसीलदार सोजत के आदेश दिनांक 18/5/1992 के अनुसार शुद्धिपत्र अनुसार खाता में सुधार किया, जिसके तहत भी वादीगण के पूर्वजों का नाम रेकर्ड में पुनः नही जोड़ा गया और उनका 1/3 हक हिस्सा पोकरराम पुत्र रामाराम माली का 2/3 हिस्सा ही रखा व पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार व त्रिशलादेवी पत्नी सुरेशचंद अखावत का 3/4 हिस्सा, सोहनलाल पुत्र वोराराम 1/8 हिस्सा व पेमाराम पुत्र वोराराम 1/8 हिस्सा यानि 1/3 सा. देह खातेदार दर्ज किया। तत्पश्चात खातेदार त्रिशलादेवी पत्नी सुरेशचंद ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार अखावत को दिनांक 25/5/1991 को बेचान कर दिया जिसमें त्रिशलादेवी का नाम हटाकर पुष्पादेवी के नाम राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 909 के जरिये इन्द्राज किया गया, जिसमें पुष्पादेवी का सम्पूर्ण आराजीयात में 1/4 हक हिस्सा आता है व शेष खाता वदस्तुर रखा गया तथा जमाबंदी चौसाला सम्वत 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065 व सम्वत 2066 से 2069 तक वादीगण के अलावा सभी खातेदार काश्तकार का नाम चला आया यानि पोकरराम पुत्र रामाराम के नाम 2/3 हक हिस्सा इन्द्राज चला आया। तत्पश्चात पोकरराम का देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान द्वारा जरिये फौतेदगी म्यूटेशन व हकतर्क से फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 3892 दिनांक 09/10/2015 को राजस्व रेकर्ड में पोकरराम पुत्र रामाराम माली के 1/3 के स्थान पर पूर्व जमाबंदी रेकर्ड के अनुसार 2/3 मानते हुए प्रतिवादी संख्या 2/1 डाउराम, व 2/2 नारायणलाल 2/3 मिश्रीलाल गोदी पुत्र गुलाराम के नाम इन्द्राज किया गया, जो म्यूटेशन भी पूर्णतः गलत इन्दाज किया गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/2 व 2/3 का वादस्थ सम्पूर्ण आसजीयात में 1/3 हक हिस्सा ही आता है और 1/3 हक हिस्सा वादीगण का आता है तथा इसी प्रकार पेमाराम पुत्र वोराराम का देहान्त हो जाने से उनके उत्तराधिकारी / वारिसानों का नाम भी जरिये म्यूटेशन सख्या 4090 विरासती व हकतर्क के आधार पर पेमाराम पुत्र वोराराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 5 हंसराज, प्रतिवादी संख्या 6 नरपत पीसरान पेमाराम नाम दर्ज किया गया और शेष

उपखण्ड अधिकारी

खाता बदस्तुर रखा गया। वादीगण संख्या 1 से 6 के पिता/पति गोपाराम पुत्र सोहनलाल का देहान्त दिनांक 06/10/2003 को हो चुका है, जिनके उत्तराधिकारी / वारिसान वादीगण संख्या 1 से 6 ही है, इनके अलावा गोपाराम जी के कोई वारिस नहीं है, इसी प्रकार वादी संख्या 8 से 11 के पिता/पति मंगलचद का देहान्त दिनांक 08/4/1987 को हो चुका है, जिनके वैद्य उत्तराधिकारी / वारिसान वादी संख्या 8 से 11 ही है, इनके अलावा अन्य कोई वैद्य उत्तराधिकारी वारिसान नहीं हैं, उपरोक्त कृषि भूमि का मौखिक बंटवाड़ा 40 वर्ष पूर्व वादीगण के पूर्वजों व प्रतिवादीगण के पूर्वज व पूर्व खातेदारों यानि पोकरराम पुत्र रामाराम, तुलछाराम पुत्र नवलाराम के समय से हो रखा था और उसी माफिक अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज थे और उसी अनुसार वर्तमान में भी माफिक नजरी नक्शा अनुसार है। जिस कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 तक की कृषि भूमि नेशनल हाईवे निर्माण के समय राज्य सरकार द्वारा उनके हक हिस्से की कृषि भूमि में से 0.1100 हैक्टर अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा भी उनको मिल चुका है तथा शेष कृषि भूमि पर वे मौके पर काबिज है। उसी स्थिति में माफिक बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड व ट्रेस नक्शा में तरमीम कर खाता अलग से बनाकर नई लगान कायम कर वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा का पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने वादी पेश कर माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खसरा नंबर 4594 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4595 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4596 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल खसरा तीन कुल रकबा 0.5100 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण के पूर्वजों गोपाराम, चम्पालाल व मंगलचंद पीसरान सोहनलाल प्रजापत का 1/3 हक हिस्सा खरीदसुदा होने से व राजस्व रेकर्ड सम्वत 2033 से 2035 में उनका नाम होने से तथा सम्वत 2042 से 2045 में उनका नाम बिना किसी विधिक कारण के राजस्व रेकर्ड से हटाकर प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 के पूर्वज पोकरराम पुत्र रामाराम के नाम से 2/3 इन्द्राज कर देने तथा वादीगण के पूर्वज गोपाराम व मंगलचंद का देहान्त हो जाने से उनके वारिसान वादी संख्या 1 से 6 व वादी संख्या 8 से 11 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में उनका नाम बतौर खातेदार 1/3 हक हिस्सा इन्द्राज किया जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण के पूर्वजों के समय से 1/3 हक हिस्से नजरी नक्शा अनुसार काबिज कृषि भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा अडचन नहीं पहुंचावे तथा प्रतिवादीगण वादस्थ कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल कर अन्यत्र किसी को बेचान हस्तानान्तरण न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से कराने तथा वादस्थ कृषि भूमि में 40 वर्ष पूर्व हुए मौखिक बंटवाड़े अनुसार व मौके पर आज भी काविज होने से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया जाकर अलग से वादीगण का खाता व लगान कायम कर बतौर खातेदार वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे तथा साथ ही राजस्व रेकर्ड व ट्रेस नक्शे में वादीगण के हक हिस्से को अलग से तरमीम किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र का पद संख्या 1 का जवाब यह है कि यह सही है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में सेटलमेंट के पूर्व पुराने खसरा नंबर 389/1 कुल रकबा साढे तीन बीघा तीन बिस्वा यानि 0.5100 हैक्टर की संयुक्त खातेदारी की तुलसाराम पुत्र नवलाराम 1/3 हिस्सा व हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 के पूर्वज दादा पोकरराम पुत्र रामाराम का 1/3 हक हिस्सा व गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पीसरान देवाराम माली का 1/3 हक हिस्सा आता था और राजस्व रेकर्ड में भी

उपखण्ड अधिकारी

इनका नाम इन्द्राज था, वादी का यह कहना भी सही है कि वक्त सेटलमेंट पुराने खसरा नंबरान 389/1 रकबा साढे तीन बीघा तीन बिस्वा यानि 0.5100 हैक्टर से नये खसरा नंबरान 4594 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4595 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4596 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल खसरा तीन कुल रकबा 0.5100 हैक्टर बने थे। जो सही है। वादीगण ने जो वादपत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है, जो सही है। तथा हम सभी पक्षकारान उसी अनुसार मौके पर वर्षों से हमारे पूर्वजों व पूर्व खातेदारों के समय से काबिज है। इसलिए सम्पूर्ण पैरा सही होने से स्वीकार है। वादपत्र का पद संख्या 2 का जवाब यह है कि यह सही है कि वर्ष 1989 से वादीगण के पूर्वज व वादी संख्या 2 खातेदार गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पीसरान देवाराम माली के 1/3 हक हिस्से को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, वादीगण के पूर्वजों का नाम सम्पूर्ण वादस्थ कृषि भूमि में से 1/3 हक हिस्से तक उनका नाम म्यूटेशन संख्या 117 से इन्द्राज किया गया था जो सही था, इसलिए सम्पूर्ण पैरा सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित तमाम तथ्य सही होने से स्वीकार है। हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 का सम्पूर्ण आराजीयात में 1/3 हक हिस्सा ही आता है। यह सही है कि जमाबंदी वर्ष सम्वत 2033 से 2035 में राजस्व अधिकारी (पटवारी, आर, आई, तहसीलदार) द्वारा सोहनलाल का 1/8 व पेमाराम का 1/8 हक हिस्सा व बिस्मिला बीबी 3/4 व शेष खाता पोकरराम वगैरा 2/3 इन्द्राज किया, जो गलत किया, लेकिन उसमें वादीगण के 1/3 हक हिस्सा को नहीं बताया गया। तत्पश्चात नई जमाबंदी चौसाला वर्ष 2042 से 2045 बनाते समय वर्ष जमाबंदी सम्वत 2033 से 2035 के अनुसार ही हम प्रतिवादीगण के पूर्वज पोकरराम पुत्र रामाराम वगैरा का 1/3 के स्थान 2/3 हक हिस्सा इन्द्राज कर दिया और वादीगण के पूर्वजों का नाम हटा दिया गया। तत्पश्चात उसी अनुसार वर्तमान तक की जमाबंदीयों में भी हमारे पूर्वजों व उसके पश्चात हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 के नाम से वादस्थ कृषि भूमि में 1/3 के स्थान पर 2/3 हक हिस्सा इन्द्राज किया जाता रहा है। जबकि हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 का उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में 1/3 हक हिस्सा ही आता है और उसी अनुसार मौके पर हम काबिज है, इसलिए हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 का राजस्व रेकर्ड में 2/3 हक हिस्से के स्थान पर 1/3 हक हिस्सा हमारे नाम से और 1/3 हक हिस्सा वादीगण के नाम से इन्द्राज कर सुधार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 को कोई उज एतराज या आपत्ति नहीं है तथा पूर्व में वर्ष 1995 में अपने हक हिस्से की कृषि भूमि में से 10 फुट जमीन रास्ते के लिए नगरपालिका में सरेण्डर की थी, जिसे कम कर शेष भूमि उनके नाम की जाती है, तो हमे कोई आपति नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जवाब यह है कि बिस्मिला बीबी ने श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार व त्रिशला देवी को बेचान किया था और त्रिशलादेवी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा पुनः श्रीमती पुष्पादेवी का बेचान किया था, वर्तमान में मौके पर पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र जी अखावत ही काबिज है, जो सही है। शेष सभी तथ्य वादीगण स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करे, क्योकि हम प्रतिवादीगण ने इन दस्तावेजात को अपनी आंखों से नहीं देखा है, मात्र बेचने व खरीदने का सुना है। वादपत्र के पद संख्या 5 का जवाब यह है कि वादीगण संख्या 1 से 6 के पिता/पति गोपाराम का देहान्त उक्त दिनांक को हुआ, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। लेकिन यह सही है कि उनका देहान्त हो गया है, गोपाराम के कौन कौन वारिसान / उत्तराधिकारी है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। इसी प्रकार वादी संख्या 8 से 11 के पिता/पति मंगलचंद का देहान्त, कब हुआ, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उनका देहान्त हो गया है, यह सुना है और उनके कौन कौन वारिसान / उत्तराधिकारी है प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं है, के तथ्य वादी स्वयं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। यह सही है कि वर्तमान में वादस्थ कृषि भूमि सम्पूर्ण आराजीयात की 1/3 हक हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काविज है, जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" में हरे रंग से दर्शाया गया है, जो सही है। शेष

उपखण्ड अधिकारी

तमाम तथ्य स्वयं वादीगण रेकर्ड व दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करे। वादपत्र के पद संख्या 6 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 7 का जवाब यह है कि यह कहना सही है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का मौखिक बंटवाडा 40 वर्षो पूर्व वादीगण के पूर्वजों एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं पूर्व खातेदारों यानि पोकरराम पुत्र रामाराम, तुलसाराम पुत्र नवलाराम के समय हो रखा है तथा उसी अनुसार हम आज भी मौके पर अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है, जो नजरी नक्शा बनाया है, जो सही है, हम प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 की कृषि भूमि नेशनल हाईवे निर्माण के समय राज्य सरकार ने अवाप्त की थी, उसके पश्चात शेष कृषि भूमि पर हम प्रतिवादीगण आज भी काबिज है, इस स्थिति में हम सभी पक्षकारान का वर्तमान में स्थिति व माप अनुसार बंटवाडा किया जाकर राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम कर खाता अलग से कायम कर नई लगान निर्धारित कर वादीगण के साथ हम प्रतिवादीगण का नाम भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाता है तो हम प्रत्तिवादीगण को कोई आपति नहीं है। इसलिए सम्पूर्ण पैरा सही होने से स्वीकार है। वादपत्र का पद संख्या 12 वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष है कि वादीगण के 1/3 हक हिस्से की घोषणा व बंटवाड़ा की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्ज एतराज नहीं है तथा हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया जावे।

**काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में सेटलमेंट के पूर्व पुराने खसरा नंबर 389/1 कुल रकबा साढे तीन बीघा तीन बिस्वा यानि 0.5100 हैक्टर की संयुक्त खातेदारी की तुलसाराम पुत्र नवलाराम 1/3 हिस्सा व हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 के पूर्वज दादा पोकरराम पुत्र रामाराम का 1/3 हक हिस्सा व गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पीसरान देवाराम माली का 1/3 हक हिस्सा आता था और राजस्व रेकर्ड में भी इनका नाम इन्द्राज था, वादी का यह कहना भी सही है कि वक्त सेटलमेंट पुराने खसरा नबरान 389/1 रकबा 3., साढे तीन बीघा तीन विस्वा यानि 0.5100 हैक्टर से नये खसरा नंबरान 4594 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4595 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4596 रकबा 0.1500 हैक्टर इस प्रकार कुल खसरा तीन कुल रकबा 0.5100 हैक्टर बने थे, जिस कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 के 1/3 हक हिस्सा है, जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 के नाम से 2/3 हक हिस्सा दर्ज हो गया है, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 का 1/3 हक हिस्सा ही आता है, तथा प्रतिवादी संख्या 3 का सम्पूर्ण आराजीयात में 1/3 का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 6 का संयुक्त रूप से 1/3 का 1/4 हक हिस्सा आता है, तथा नेशनल हाईवे में अवाप्त सुदा जमीन के पश्चात हमारे हक हिस्से की कृषि भूमि का हम प्रतिवादीगण के नाम से वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही हमारे हक हिस्से की भूमि का माप चौक कर बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर हमारा खाता भी अलग किया जाकर ट्रेस नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाने, साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का सम्पूर्ण आराजीयात में 1/3 का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 6 का संयुक्त रूप से 1/3 का 1/4 हक हिस्सा है तथा हम प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 की कृषि भूमि नेशनल हाईवे निर्माण के समय राज्य सरकार में अवाप्त हुई थी, उसके पश्चात शेष कृषि भूमि पर हम आज भी काबिज है, का माप चौक कर खाता अलग किया जाकर, ट्रेस नक्शा में तरमीम किया जावे, साथ ही वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि बिना विधिक बंटवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

करवाये उक्त कृषि भूमि को आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण व निर्माण, तोड फोड़ इत्यादि नहीं करने की ईश्तदुआ की हैं। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होना व उक्त पैरा में उल्लेखित तथ्य सेटलमेंट से पूर्व के ख0नं0 398/1 कुल खसरा तीन कुल रकबा तीन बीघा तीन बिस्वा यानि 0.5100 है0 व भूमि व जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2035 के खातेदार व नवीन खसरा नंबरान बाबत् तथ्य संलग्न दस्तावेजात के आधार पर साबित हैं बाकी वादी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश करें। पैरा सं0 02 में वर्णित तथ्य नामा0 सं0 117 से साबित हैं। शेष तथ्य वादी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश करे। पैरा सं0 में वर्णित तथ्य नामा0 सं0 239, 244 से साबित हैं। शेष तथ्य वादी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश करे। पैरा सं0 4 में वर्णित तथ्य नामा0 सं0 710 व 909 से साबित हैं। शेष तथ्य वादी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश करे। पैरा सं0 05 प्रार्थी स्वयं साक्ष्य सबूत द्वारा साबित करे। पैरा सं0 6 से 11 कानूनी हैं।

अधिवक्ता वादी जवाब काउण्टर वाद पेश करना नहीं चाहने से अवसर समाप्त कर जवाब काउण्टर वाद बंद किया गया।

वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई–

01. आया वादीगण सोजत चक प्रथम के ख0नं0 4594, 4595, 4596 कुल रकबा 0.5100 है0 भूमि में वादीगण के पूर्वज गोपाराम चम्पालाल व मंगलचन्द पि0 सोहनलाल का 1/3 हक हिस्सा खरीद सुदा हैं। (जिम्मे वादीगण)
02. आया वादस्थ भूमि में प्रति0 सं0 2/1 से 2/3 के पूर्वज पोकरराम पुत्र रामाराम का नाम 2/3 विधि विरूद्ध इन्द्राज किया गया। (जिम्मे वादीगण)
03. आया वादीगण सं0 01 से 06 व 08 से 11 गोपाराम व मंगलचंद के वारिस होने से 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। (जिम्मे वादीगण)
04. आया वादीगण के वादस्थ भूमि के 1/3 हिस्से में प्रतिवादीगण कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल न ही करे तथा वादस्थ भूमि का बेचान इत्यादि न करे तथा वादीगण को बेदखल नहीं करे की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। (जिम्मे वादीगण)
05. आया वादीगण वादस्थ भूमि में पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा व कब्जा अनुसार (माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा) करवाने के अधिकारी हैं। (जिम्मे वादीगण)
06. आया प्रतिवादीगण काउण्टर वाद में वर्णित भूमि में प्रति सं0 2/1 से 2/3 का 1/3 हिस्सा प्रति0 सं0 03 का 1/3 का 3/4 प्रति0 सं0 4 का 1/3 का 1/4 हिस्सा प्रति0 सं0 05 से 06 का संयुक्त रूप से 1/3 का 1/4 हिस्से का वादीगण से बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
07. आया प्रतिवादीगण काउण्टर वाद में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये बेचान, हस्तान्तरण व निर्माण तोड़ फोड़ इत्यादि नहीं करे स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
08. अनुतोष।

प्रकरण में दिनांक 28.03.2024 को बाद सुनवाई उभय पक्षकारों की सहमति से वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/383 दिनांक 05.03.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 15 नियम 02 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 वादी का वाद स्वीकार करने बाबत् पेश किया। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। चूंकि प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर दिये जाने से साक्ष्य लिये जाना आवश्यक नहीं हैं।

बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम सेटलमेंट से पूर्व पुराने खसरा नंबर 389/1 रकबा 3।। साढे तीन बीघा तीन बिस्वा कृषि भूमि यानि 0.5100 हैक्टर की भूमि तुलसाराम पुत्र नवलाराम हि0 1/3, पोकरराम पुत्र रामाराम 1/3, गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पीसरान देवाराम माली 1/3 हक हिस्से की खातेदारी की भूमि आयी हुई स्थित थी। पुराने खसरा नंबर 389/1 से तीन नये खसरा नंबर 4594 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4595 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 4596 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5100 हैक्टर बने थे। वादस्थ कृषि भूमि में से खातेदार गणपतलाल, मदनलाल मंगलाराम पीसरान देवाराम माली से उनका 1/3 सम्पूर्ण हक हिस्से जरिये बेचान रजिस्ट्री वादीगण संख्या 1 से 6 के पिता/पति गोपाराम व उनके भाई चम्पालाल व मंगलचंद यानि वादी संख्या 2/1 से 2/5 व 3/1 से 3/4 के पूर्वज द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वादीगण के पूर्वज गोपाराम, चम्पालाल व मंगलचंद का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार म्यूटेशन 117 के तहत 1/3 हक हिस्से पर इन्द्राज किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2033 से 35 में राजस्व अधिकारियों द्वारा म्यूटेशन संख्या 239 व 244 को इन्द्राज किया गया, उस समय खाते में प्रतिवादी सोहनलाल 1/8, पेमाराम 1/8 व बिस्मिला बीबी 3/4 व शेष खाता पोकरराम वगैरा के 2/3 हक हिस्सा गलत इन्द्राज कर दिया और वादीगण के पूर्वजों का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी से बिना किसी आदेश व दस्तावेजात के हटा दिया गया, तत्पश्चात बने सभी चौसालों में वादीगण के पूर्वजों का नाम नहीं आया और प्रतिवादी संख्या 2 पोकरराम, रामा का 1/3 हक हिस्से के स्थान पर 2/3 हक हिस्सा चला गया, जबकि वादीगण का 1/3 हक हिस्सा वादस्थ कृषि भूमि में आता है। इसलिए वादीगण ने यह घोषणा व बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर वादीगण का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 का 3/4 हक हिस्से यानि 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 का 1/4 यानि 1/12 व 5 व 6 का 1/3 का 1/4 यानि 1/12 नेशनल हाईवे की भूमि अवाप्ति के बाद शेष भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर रेकर्ड में नाम इन्द्राज किये जाने एवं तत्पश्चात माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की माफिक ईश्तदुआ अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया तथा प्रस्तुत काउण्टर वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ चाही जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा अनापत्ति जाहिर कर काउण्टर वाद स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, जवाब दावा, काण्उटर वाद, प्रा0पत्र आदेश 15 नियम 2 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा प्रा0पत्र आदेश 15 नियम 2 सी0पी0सी0 का पेश किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। आदेश 15 नियम 2 सी0पी0सी0 के अनुसार "where multiple defendants are involved in a suit, and it's established that one or more of them are not at issue with the plaintiff on any legal or factual matter. In such cases, the court can immediately pronounce judgment against those defendants who are not at issue, and the suit will then proceed only against the remaining defendants." वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रस्तुत खसरा मिलान में पुराने ख0नं0 389/1 से नये ख0नं0 4594, 4595, 4596 बनना पाया गया स्पष्ट हैं। तत्पश्चात् नये कायम किये गए ख0नं0 की जमावंदी सम्वत् 2033–35 में तुलछाराम वल्द नवलाराम, पोकरराम वल्द रामाराम,

उपखण्ड अधिकारी,

गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पि0 देवाराम कौम माली खा0 देह खातेदार दर्ज सुदा हैं। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद प्रस्तुत हैं। जिसके अवलोकन से भी वादीगण के पूर्वज के प्रिसिंपल विक्रेता गणपतलाल, मदनलाल, मंगलाराम पि0 देवाराम खातेदार दर्ज हैं। जिनके द्वारा विक्रय करने से नामा0 सं0 117 के तहत वादीगण के पूर्वज गोपाराम व उनके भाई चंपालाल व मंगलचंद का नाम 1/3 हिस्सा खातेदार दर्ज किया गया। तथा वादीगण द्वारा अपने पिता गोपाराम व उनके भाई चंपालाल व मंगलाराम के पक्ष में दिनांक 13.12.79 को हुई बेचान रजिस्टी की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि में वादीगण के पूर्वज द्वारा संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की भी भूमि खरीद की गई तथा वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के संयुक्त खातेदारान द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को अलग-अलग व्यक्तियों को बेचान करने बाबत् बेचान रजिस्टी की प्रतियां प्रस्तुत की गई तथा नामा0 सं0 239 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसमें खातेदार तुल्छाराम पुत्र नवलाराम जिसका राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज था, जिसकी मृत्यु उपरांत नामा0 सं0 239 उसके पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज किया गया तथा पोकरराम द्वारा दर्ज किये गए अपने 1/3 सम्पूर्ण हिस्से का बेचान खरीदारान के नाम कर दिया तथा खरीदारान का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। साथ ही पोकरराम पुत्र रामाराम का 2/3 हिस्सा बदस्तुर रखा गया का इन्द्राज किया गया, जबकि उक्त पोकरराम पुत्र रामाराम का पूर्व में निरन्तर जमाबंदीयों में 1/3 हिस्सा ही दर्ज चला रहा। अतः जमाबंदी सम्वत् 2042-45 में पोकरराम पुत्र रामाराम का 2/3 हिस्सा इन्द्राज करने का किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है, जबकि उक्त पोकरराम पुत्र रामाराम का 1/3 हिस्सा ही वास्तविक रूप से दर्ज होना चाहिये था, इसी प्रकार उपरोक्त जमाबंदी तैयार करते वक्त वादीगण के पूर्वज गोपाराम, चम्पालाल, मंगलचंद पि0 सोहनलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज करना सहवनवश रह गया। जिससे उक्त पोकरराम पुत्र रामाराम का त्रुटिवश 2/3 हिस्सा निरन्तर जमाबंदी में दर्ज चला रहा तथा उक्त भूमि में स्वयं पोकरराम पुत्र रामाराम के वारिश प्रतिवादी सं0 2/1 से 2/3 स्वयं द्वारा न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी वादीगण के पूर्वज द्वारा उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा खरीद करना व उनका कब्जा होना सही बताया गया। इसी प्रकार उपरोक्त भूमि में 2/1 से 2/3 का 1/3 हिस्सा ही होना बताया तथा जमाबंदी सम्वत् 2042-45 बनाते समय हमारे पूर्वज पोकरराम पुत्र रामाराम का 1/3 हिस्से के स्थान पर 2/3 हिस्सा दर्ज कर वादीगण के पूर्वज का नाम हटा दिया गया तथा उक्त 2/3 दर्ज किए गए हिस्से में 1/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वज का होना स्वीकार किया गया तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में स्वयं के नाम दर्ज 2/3 हक हिस्से के स्थान पर वादीगण के नाम 1/3 हिस्सा दुरूस्त किया जाता है तो उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया गया। इसी प्रकार शेष खातेदारान द्वारा भी उपरोक्त भूमि में वादीगण के पूर्वज द्वारा 1/3 हिस्सा खरीद करना व वादीगण का संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त का होना स्वीकार किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2042-45 तैयार करते वक्त त्रुटिवश वादीगण के पूर्वज गोपाराम, चम्पालाल, मंगलचंद पिसरान सोहनलाल का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज नहीं किया गया तथा उक्त जमाबंदी में त्रुटिवश पोकरराम पुत्र रामाराम के 1/3 हिस्से के स्थान पर 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि उपरोक्त जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज गोपाराम, चम्पालाल, मंगलचंद पिसरान सोहनलाल 1/3 हिस्से में खातेदार दर्ज किये जाने चाहिये थे। जिससे वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे हैं। लिहाजा अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का उपरोक्त खसरा नंबर 4594, 4595, 4596 कुल रकबा 0.4050 है0 की भूमि में संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा खातेदार घोषित किया जाना तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रति सं0 2/1 से 2/2 के नाम दर्ज 1/6-1/6 के स्थान पर 1/12-1/12 दर्ज किया जाना व इसी प्रकार प्रति सं0 2/3 के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नाम दर्ज 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर प्रस्तुत माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 11.02.2025 पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण सहमत होने से वादीगण का घोषणा व बंटवाड़ा का वाद व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा हेतु काउण्टर वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादीगण का प्रस्तुत घोषणा, बंटवाड़ा व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद मय प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा हेतु काउण्टर वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के ख0नं0 4594, 4595, 4596 कुल रकबा 0.4050 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रति सं0 2/1 से 2/2 के नाम दर्ज 1/6–1/6 हिस्से के स्थान पर 1/12–1/12 हिस्से दर्ज किया जाना व इसी प्रकार प्रति सं0 2/3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा प्रस्तुत माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 11.02.2025 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

01 ग्राम सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः—

| क्र.स. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा (है0) |
|---|---|---|---|
| 1. | स्व0 गोपाराम, स्व0 चम्पालाल, स्व0 मंगलचंद पुत्र स्व0 सोहनलाल कौम कुम्हार सा0 देह के कायम मुकाम | 4594 | 0.1750 |
| 2. | मिश्रीलाल उर्फ गोपालराम पुत्र गुलाराम कौम माली सा0 देह खातेदार | 4594/1<br>4595/2 | 0.0025<br>0.0775 |
| 3. | नारायणलाल पुत्र हिराराम कौम माली सा0 देह खातेदार | 4594/2<br>4595 | 0.0025<br>0.0375 |
| 4. | दाउराम पुत्र हिराराम कौम माली सा0 देह खातेदार | 4595/1 | 0.0400 |
| 5. | पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार कौम ओसवाल सा0 देह खातेदार | 4595/3<br>4596 | 0.0175<br>0.0425 |
| 6. | हंसराज, नरपत पि0 पेमाराम कौम लौहार सा0 देह खातेदार | 4595/4<br>4596/1 | 0.0065<br>0.0015 |
| 7. | सोहनलाल पुत्र बोराराम कौम लौहार सा0 देह खातेदार | 4595/5<br>4596/2 | 0.0010<br>0.0010 |

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मालिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मालिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)